सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024–2025

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in
हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर–1800–180–6268
विभागीय वैब साईट–www.sipf.rajasthan.gov.in
दूरभाष: 0141–2200786

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024—2025

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर—1800—180—6268

विभागीय वैब साईट—www.sipf.rajasthan.gov.in

दूरभाष: 0141—2200786

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य**	1
2	**राज्य बीमा योजना**	2—7
3	**प्रावधायी निधि योजना**	8—18
	1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना	8—12
	2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना	12—16
	3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना	16—17
	4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना	17—18
	5. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैब	18
	6. कार्मिक कल्याण कोष	18
4.	**साधारण बीमा निधि योजना**	19—24
5.	**राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना**	25
6.	**मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना**	26—27
7.	**सिस्टम**	28—31
8.	**लेखा (बजट)**	32—33
9.	**उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता**	34—38
10.	**कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण**	39—40
11.	**संगठनात्मक ढ़ांचा**	41
12.	**विशेष उपलब्धियां**	42—43
13.	**सार संक्षेप**	44

1. विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य

राजस्थान सरकार के कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों एवं आमजन को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

स्वाधीनता के पश्चात् प्रदेश के राज्यकर्मियों के कल्याणार्थ राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा नियम 1953 के तहत दिनांक 01.01.1954 से राज्य बीमा योजना को अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार के अध्यधीन समस्त कर्मचारियों पर लागू किया। योजना का बाद में विस्तार करते हुए इसे दिनांक 01.04.1989 से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर तथा दिनांक 01.04.1995 से सभी नियमित कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। वर्ष 1943 में मात्र 8000 कर्मचारियों से प्रारम्भ उक्त बीमा योजना में वर्ष 2024 में लगभग 7.42 लाख कर्मचारियों पर लागू है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.05.1980 से प्रावधायी निधि योजना को भी अनिवार्य रूप से सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया गया। पूर्व में यह योजना अनिवार्य राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा अन्य के लिये वैकल्पिक रूप से लागू थी। वर्तमान में प्रावधायी निधि योजना में लगभग 2.18 लाख अंशदाता हैं।

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्यकर्मी एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्डस, एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिको के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 से नवीन योजना क्रमशः जीपीएफ–2004 एवं जीपीएफ–सैब लागू की गई है जिसमें अंशदाता स्वैच्छिक रूप से कटौती करवा सकता था, किन्तु दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर ओपीएस लागू करने के फलस्वरूप राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.05.2022 द्वारा अप्रैल 2022 से कार्मिको के मासिक वेतन से जीपीएफ–2004 अनिवार्य रूप से लागू की गई है। वर्तमान में जीपीएफ–2004 में लगभग 5.77 लाख अंशदाता है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1991 से साधारण बीमा निधि की स्थापना की गई जिसके द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों आदि, जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण या गारंटर के रूप में वित्तीय हित निहित है, की परिसम्पत्तियों आदि के लिये साधारण बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है ।

माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, सेवारत व सेवानिवृत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य के सेवारत व सेवानिवृत कार्मिकों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत कार्मिकों को राजकीय व निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण कैशलेस आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य में दिनांक 01.07.2021 से

लागू की गई ''राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना'' (आरजीएचएस) का इस विभाग द्वारा 30.11.2023 तक संचालन किया गया था। राज्य सरकार के आदेशो से अब इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को विभिन्न दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान (मानवीय क्षति/शारीरिक क्षति) के बोझ को कम करने के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' (MADBY) दिनांक 01.05.2022 से लागू की गई है। योजना में क्षति/मृत्यु होने पर अधिकतम राशि रूपये 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता हैं। इस योजना में दिनांक 01.07.2022 से आरजीएचएस योजना के तहत आने वाले परिवारों तथा दिनांक 01.11.2022 से राज्य की विद्युत कम्पनियों के कार्मिकों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में इस विभाग को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा तथा मुख्यमंत्री स्पोंटसपर्सन बीमा योजना के बीमाकर्ता का दायित्व दिया गया है।

विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त समस्त योजनाऐं कर्मचारियों एवं आमजन के लिये कल्याणकारी योजनाऐं हैं, जो बचत को प्रोत्साहन देने व आयकर में छूट प्रदान करने के साथ ही न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करती हैं।

2. राज्य बीमा योजना

राज्य बीमा योजना राजस्थान राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारी बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मियों पर लागू है। योजना में नवीन नियम 01.04.1998 से प्रभावी किये गये हैं। नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में योजना की कार्यविधि पुस्तिका (मैनुअल) के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(1) योजना किन पर लागू हैः– अनिवार्य राज्य बीमा योजना स्थाई ,राज्य कर्मचारियों ,पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत लाया गया है, उन पर भी दिनांक 01.04.1995 से यह योजना लागू की गई है। नियम 8(1)

(2) राज्य सरकार की गारन्टी :– राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ एवं अन्य रकम को राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारन्टी देती है। (नियम 4)

(3) राजस्थान सरकार के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले कर्मचारी भी इस बीमा योजना के अधीन बीमा कराने के लिये स्वतंत्र होगें, यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिये सहमत हों।(नियम 9)

(4) राजस्थान संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य विभाग की बीमा योजना के अधीन बीमा कराने का विकल्प ले सकता है।(नियम 10)

(5) बीमाकृत व्यक्ति के विवाह के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष मे किया गया और तत्पश्चात् रद्द नहीं किया गया नामनिर्देशन उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी/पति के पक्ष मे स्वतः ही रद्द किया हुआ समझा जायेगा । (नियम 31)

(6) बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमा को जारी रखनें का विकल्प लेने का प्रावधान है।(नियम 39(2)(1))

(7) बीमाधन कुर्की से मुक्तः– बीमा नियमों के अनुसार राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय बीमाधन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है। जिन मामलों में भवन निर्माण /क्रय हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के विरूद्ध बीमा पॉलिसी को बंधक रखा हुआ है, उनमें संबंधित संस्थान से पॉलिसी को मुक्त कराये जाने पर ही बीमाधन का भुगतान बीमेदार/दावेदार को किया जाता है। (नियम 50)

(8) **बीमा नियम 1998 एवं कार्य प्रक्रियाओं में संशोधन :–**

(1) बीमा नियम 44(2) में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(36) एफ.डी./राजस्व/96पार्ट दिनांक 22.11.2007 द्वारा बीमा ऋण की किस्ते 36 के स्थान पर 60 की गई है।

(2) बीमा नियम 11(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 02.03.2009 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के अधिक जौखिम वहन की आयु 50 से बढाकर 55 वर्ष कर दी गयी है।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट–लूज, दिनांक 13.12.2017 के अनुसार राज्य बीमा योजना के जारी अधिकार पत्रों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर राज्य बीमा विभाग के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2018 से सीधे कर्मचारी/दावेदार के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है।

(4) **बीमा कटौती की दरेः**– राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट, दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राज्य बीमा प्रीमियम की संशोधित कटौती दरें निम्नानुसार है एवं दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी है :–

क्र0 सं0	मूल वेतन	खण्ड दरें (मासिक प्रीमियम)
01	रूपये 22000 तक	800
02	रूपये 22001 से 28500 तक	1200
03	रूपये 28501 से 46500 तक	2200
04	रूपये 46501 से 72000 तक	3000
05	रूपये 72000 से अधिक पर	5000
06	अधिकतम	7000

वेतन खण्ड के लिए निर्धारित मासिक प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, परन्तु यदि, बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिये निर्धारित दरों पर कटौती करवाकर नियमानुसार अधिक बीमाधन के लिये भी बीमित हो सकता है, लेकिन वेतन खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम रूपये 7000/– प्रतिमाह तक ही कटौती करवा सकेंगें।

(5) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(2)वित्त/राजस्व/96 पार्ट–I, दिनांक 08.12.2020 के अनुसार राज्य बीमा ऋण पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारित किये जा रहे है तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(36)वित्त/राजस्व/96 पार्ट–II दिनांक 17.03.2021 के अनुसार राज्य बीमा के समस्त प्रकार के दावों का निस्तारण भी पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(9) **बीमेदारों की संख्या** :– राज्य बीमा योजना में एसआईपीएफ पोर्टल से उपलब्ध सूचना के आधार पर कुल बीमेदारों की संख्या लगभग 7.42 लाख है।

(10) **बीमा निधि** :– वर्ष 2023–24 के अन्त में राज्य सरकार के पास जमा बीमा निधि रूपये 29276.67 करोड है। जिसका राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निधि मे जमा राशि पर 7.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है।

(11) **मूल्यांकन एवं बोनस** :– राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा राज्य कर्मचारियों की एण्डोमेंट बीमा पॉलिसियों पर वर्ष 2021–22 तक रूपये 85/–प्रति हजार प्रतिवर्ष की दर से बोनस घोषित किया गया है।

(12) **राज्य बीमा पॉलिसी की अन्य विशेषताऐं** :–

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत बीमा योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है।
2. योजना के नियमों के अंतर्गत बीमेदार द्वारा आवश्यकता अनुसार बीमा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु किसी कारण को इंगित करने की आवश्यकता नही है तथा कर्मचारी (बीमित) से ऋण पर ब्याज वही लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा बीमा निधि पर देय होता है।
3. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमेदार की मृत्यु होने पर नियमानुसार मनोनीत व्यक्ति को दुगुने बीमाधन का मय बोनस भुगतान किया जाता है। जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नही लिया जाता है।
4. बीमा योजना में 1 रू0 के प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन अधिक है एवं अन्य बीमा योजना की तुलना में बोनस भी अधिक दिया जाता है।

(13) **योजना का कार्य संपादन** :– योजना संबंधी समस्त कार्य यथा पॉलिसी जारी करना, अधिक जोखिम वहन करना, ऋण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन, खाता स्थानान्तरण तथा बीमा स्वत्व का निस्तारण आदि समस्त कार्य बीमेदार के पदस्थापन संबंधी जिला कार्यालय स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(14) **बीमा योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण :—**

(अ) राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्र. सं.	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1—	परिपक्वता स्वत्व	24525	24447	99.68
2—	मृत्यु स्वत्व	3030	2783	91.85
3—	अर्ध्यपण स्वत्व	801	726	90.64
4—	बीमा ऋण	16582	15634	94.29

(ब) राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्र. सं.	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1—	परिपक्वता स्वत्व	22271	22181	99.60
2—	मृत्यु स्वत्व	3193	2936	91.95
3—	अर्ध्यपण स्वत्व	1654	1480	89.48
4—	बीमा ऋण	41597	39732	95.52

(स) राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्र. सं.	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1—	परिपक्वता स्वत्व	22219	22195	99.89
2—	मृत्यु स्वत्व	2916	2763	94.75
3—	अध्यर्पण स्वत्व	1727	1622	93.92
4—	बीमा ऋण	36932	36932	100.00

(द) राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में दिनांक 31.12.2024 तक उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्र. सं.	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1—	परिपक्वता स्वत्व	22962	22946	99.93
2—	मृत्यु स्वत्व	1676	1528	91.17
3—	अध्यर्पण स्वत्व	923	819	88.73
4—	बीमा ऋण	32407	32407	100.00

(15) प्राप्तियां एवं भुगतान :—वर्ष 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं दिसम्बर, 2024 तक की प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि करोडो में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2021—22	20866.10	3619.20	1607.18	26092.48	2493.20	23599.28
2022—23	23599.28	3961.89	1806.04	29367.21	2999.36	26367.85
2023—24	26367.85	4317.32	2011.25	32696.42	3419.75	29276.67
2024—25 दिसम्बर, 2024 तक	29276.67	3491.05	—	—	3361.44	—

3. प्रावधायी निधि योजना

1. **सामान्य प्रावधायी निधि योजनाः–**

(i) योजना विभिन्न चरणों में निम्न पर लागू हुईः–

राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर योजना दिनांक 1.4.1954 से अनिवार्य रूप से लागू हुई थी। योजना में स्वेच्छा से अंशदान करने वाले और राज्य बीमा कटौती के अयोग्य घोषित कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामान्य प्रावधायी निधि कटौती के खातों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार से विभाग द्वारा 1.4.1979 को लिया गया था, जो निरंतर इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। योजना दिनांक 1.5. 1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई। योजना दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं थी, जिसे नवम्बर 2020 से ऐच्छिक रूप से लागू किया गया। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022–23 में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किए जाने पर जीपीएफ–2004 में मासिक कटौतियों को राज्य सरकार की अधिसूचना प. 2(2)वित्त(नियम)/2021पार्ट दिनांक 25.05.2022 द्वारा अप्रेल 2022 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। योजना पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम 1997 जो कि दिनांक 01.06.1997 से प्रभावी थे, के स्थान पर वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(2) वित्त/नियम/2021 जयपुर दिनांक 12.10.2021 से राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम 2021 लागू किये गये है।

(ii) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के प्रमुख आकर्षण

1. योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित ब्याज दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2024–25 की तृतीय तिमाही तक ब्याज दर 7.1 प्रतिशत वार्षिक है।
2. कर्मचारी अपनी सेवानिवृति के पश्चात् समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः F.2 (1)FD (Rules)/96 दिनांक 30–03–1999 द्वारा प्रावधायी निधि नियम 4 (1) (2) एवं 14 (2) में किये गये संशोधनानुसार खाते में जमा रख सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.2(1)FD(Rules)/2008 pt-1 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा राजस्थान केडर के सेवा निवृत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सेवा निवृत न्यायाधिपतियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अपने सेवानिवृति परिलाभों की

राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F. 2 (1)FD (Rules)/2008 pt-1 दिनांक 11–10–2017 द्वारा सेवा निवृति परिलाभ जमा राशि पर जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर लागू की गई है एवं योजना में राशि जमा होने के पश्चात् आहरण हेतु लॉग–इन पीरियड को समाप्त कर दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अधिक से अधिक बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की गई है कि अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से आयकर अधिनियम 1961 एवं आयकर नियम 1962 की धारा 9(डी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ में 5 लाख से अधिक जमा अभिदान पर देय ब्याज को आयकर देयता की श्रेणी में लिया गया है।

(iii) **सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें:–**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–2 (1)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिनांक 01–03–2018 से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैः–

क्र. सं.	**वेतन खण्ड**	**मासिक अंशदान दर (रू में)**
1–	रूपये 23100/– तक	1450
2–	रूपये 23101/– से 28500/– तक	1625
3–	रूपये 28501/– से 38500/– तक	2100
4–	रूपये 38501/– से 51500/– तक	2850
5–	रूपये 51501/– से 62000/– तक	3575
6–	रूपये 62001/– से 72000/– तक	4200
7–	रूपये 72001/– से 80000/– तक	4800
8–	रूपये 80001/– से 116000/– तक	6150
9–	रूपये 116001/–से 167000/– तक	8900
10–	रूपये 167000 से अधिक पर	10500

(iv) **आहरणः**—वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(2) वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक 12.10.2021 अनुसार कोई भी अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण कर सकता है—

- बिना कारण बताये आहरण की स्थिति मेंः

क्र.सं	आहरण प्रतिशत	सेवा अवधि
1.	10 प्रतिशत	5 वर्ष से 15 वर्ष
2.	30 प्रतिशत	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम
3.	40 प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम
4.	50 प्रतिशत	30 वर्ष से अधिक
5.	90 प्रतिशत	अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर

- कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरणः

क्रं. सं	आहरण प्रतिशत	कारण
1.	50 प्रतिशत	1. अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु। 2. वाहन कय। 3. स्थाई उपभोग की वस्तुओं का कय। 4. अभिदाता, उसके परिवार के संदस्यों या उस पर आश्रित माता—पिता की बीमारी पर व्यय। 5. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर आदेशित किये जावें। नोटः— आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा।
2.	75 प्रतिशत	1. भवन निर्माण, भू—खण्ड कय, आवास कय, फ्लेट कय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्धन, भू—खण्ड पर भवन निर्माण। 2. अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह हेतु। 3. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर आदेशित किये जावें।

(v) **योजना का कार्य संपादनः–**

दिनांक 01.05.1980 से सभी राज्य कर्मचारियों पर यह योजना लागू होने पश्चात सभी जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत रूप से योजना को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खातेदार का समस्त कार्य यथा खाता संख्या आवंटन करना, अस्थायी/स्थायी आहरण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन तथा स्वत्व निस्तारण आदि कार्य खातेदार के पदस्थापित जिला कार्यालय स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(vi) **योजना अंतर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरणः–**

विभागीय प्रमुख कार्यों के विरूद्व आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलनाः–

अवधि	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण %
वर्ष 2021–22	सेवानिवृति स्वत्व	23972	21063	87.87
	मृत्यु स्वत्व	3973	3625	91.24
	आहरण	47125	44211	93.81
वर्ष 2022–23	सेवानिवृति स्वत्व	27119	24531	90.46
	मृत्यु स्वत्व	2213	2054	92.81
	आहरण	48617	48046	98.82
वर्ष 2023–24	सेवानिवृति स्वत्व	28470	26337	92.51
	मृत्यु स्वत्व	1767	1700	96.21
	आहरण	47884	45579	99.36
वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर 24 तक)	सेवानिवृति स्वत्व	20812	18531	89.04
	मृत्यु स्वत्व	1220	1131	92.70
	आहरण	38646	38072	98.51
	रिफण्ड	3273	3246	99.18

(vii) **प्राप्ति एवं भुगतानः–**प्रावधायी निधि योजना में प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2021–22	36713.27	3732.15	2541.15	42986.57	5626.10	37360.47
2022–23	37360.47	6164.98	2673.23	46198.68	6002.25	40196.43
2023–24	40196.43	6389.52	2909.42	49495.37	5593.51	43901.86
2024–25 (माह दिसम्बर 24 तक)	43901.86	4767.67	–	48674.53	4221.79	44452.74

(viii) **कुल खातेदार**

एसआईपीएफ पोर्टल के अनुसार वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल खातेदारो की संख्या लगभग 2.18 लाख है।

(ix) **सामान्य प्रावधायी निधि फंड–**

वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक) के अन्त में कुल सामान्य प्रावधायी निधि फण्ड राशि रू. 44452.74 करोड़ रूपये है।

(x) **खाताबंदी–**

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत खाताबंदी का कार्य वर्ष 2023–24 तक पूर्ण है।

2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजनायें:–

विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर पेंशन की एवज में अंशदायी प्रावधायी निधि योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू की गयी। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं का संचालन किया जाता है:–

1. राजस्थान राज्य कर्मचारी विद्युत यांत्रिक एवं जलदाय विभाग अंशदायी प्रावधायी निधि 1955
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्यान सहित 1961
3. सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रावधायी निधि 1964
4. खान एवं भू–विज्ञान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि 1987
5. वन विभाग के कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि 1994–95

उल्लेखनीय है कि अंशदायी प्रावधायी निधि/सामान्य प्रावधायी निधि/वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन विकल्प के कारण इसकी राशि राजस्व मद में स्थानान्तरण प्रविष्टि (TE) पारित करने के कारण प्राप्तियॉ (–) में है तथा इस श्रेणी के कार्मिकों की नई भर्ती न होने से अंशदान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अंशदायी योजनाओं का समस्त कार्य 1–4–1996 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है जो अब जिला कार्यालयों के स्तर पर संपादित किया जा रहा है।

(i) सिंचाई विभाग कर्म निरूपित (परियोजनाओं सहित) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान सहित)

यह योजना राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा उद्यान विभाग वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.1961 से तथा सिंचाई एवं सिचांई परियोजनाओं के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.06.1964 से लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अंशदान की दर वेतन का 8 प्रतिशत है तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा करती है। दिनांक 01.01.1961 से पूर्व की सेवाओं के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अर्द्वस्थायी घोषित होने की तिथि से पूर्व, पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए 1/2 माह का वेतन विशेष अंशदान के रूप में दिया जाता है। इन कर्मचारियों को नियमित

घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन लाभ–चयन की सुविधा दी जाती है जो कर्मचारी पेंशन लाभ का चयन करते हैं, उनके वेतन से अंशदायी प्रावधायी निधि की ओर कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

वर्ष 2021–22 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	1066.86	75.75	0.00	1142.61
सा0प्रा0नि0	476.24	33.81	0.00	510.05

वर्ष 2022–23 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	1142.61	81.20	0.00	1223.81
सा0प्रा0नि0	510.05	36.21	0.00	546.26

वर्ष 2023–24 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	1223.81	0.01	0.00	1223.82
सा0प्रा0नि0	546.26	0.00	0.00	546.26

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	1223.82	0.00	0.00	1223.82
सा0प्रा0नि0	546.26	0.00	0.00	546.26

(ii) जलदाय विभाग

राज्य सरकार द्वारा सयांत्रिक एवं जलदाय विभाग के नियमित श्रमिकों के सेवालाभ संदाय हेतु अंशदायी प्रावधायी निधि योजना बनाई गई, जो दिनांक 01.04.1955 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 8 प्रतिशत की दर से कर्मचारी को अंशदान करना होता है तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार को नियोजक के रूप में अंशदान (राजकीय अंशदान) जमा करानी होती है।

नियमित एवं कर्मनिरूपित कर्मचारी, जिन्हें नियमित श्रेणी में लिया गया है, को राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता बरते जाने पर समय–समय पर निर्धारित अवधि में पेंशन परिलाभ चयन करने की सुविधा प्रदान की गई तथा अब दिनांक 1.9.1980 से जो कर्मनिरूपित कर्मचारी स्थायी होते हैं और 10 वर्षो की सेवा पूर्ण कर चुके हैं,को पेंशन का परिलाभ प्रदान करने का स्थायी विकल्प का प्रावधान, उनके सेवानियमों में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। स्थायी होने पर अंशदाता द्वारा पेंशन लाभ चयन करने पर अंशदायी प्रावधायी निधि की कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

वर्ष 2021–22 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	214.27	15.28	0.00	229.55
सा0प्रा0नि0	138.45	9.83	0.00	148.28

वर्ष 2022–23 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	229.55	16.04	0.00	245.59
सा0प्रा0नि0	148.28	10.52	0.00	158.80

वर्ष 2023–24 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	245.59	0.039	0.00	245.629
सा0प्रा0नि0	158.80	0.00	0.00	158.80

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	245.629	0.00	0.00	245.629
सा0प्रा0नि0	158.80	0.00	0.00	158.80

(iii) खान एवं भू–विज्ञान कार्य प्रभारित कर्मचारी

राजस्थान खनन एवं भू–विज्ञान विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक 1.4.1987 से लागू की गई हैं। योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान 31 मार्च को रही उसकी

परिलब्धियों के 8 प्रतिशत की दर से करता है तथा इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अंशदाता के खाते में जमा कराई जाती है।

वर्ष 2021–22 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	2.38	0.17	0.00	2.55
सा0प्रा0नि0	0.40	0.02	0.00	0.42

वर्ष 2022–23 मे प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अ0प्रा0नि0	2.55	0.18	0.00	2.73
सा0प्रा0नि0	0.42	0.03	0.00	0.45

वर्ष 2023–24 मे प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अ0प्रा0नि0	2.73	0.00	0.00	2.73
सा0प्रा0नि0	0.45	0.00	0.00	0.45

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) मे प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अ0प्रा0नि0	2.73	0.00	0.00	2.73
सा0प्रा0नि0	0.45	0.00	0.00	0.45

(iv) **वन विभाग कर्मनिरूपित कर्मचारी अंशदायी प्रावधायी निधि एवं सामान्य भविष्य निधि योजनाः–**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.1994 की अनुपालना में वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर यह योजना लागू की गई है, इसके अंतर्गत अंशदाताओं के खातों का संधारण जिला स्तर पर ही किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भी अंशदान की दर कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 8 प्रतिशत के बराबर ही है। राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। अन्य अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं के समान ही इसमें भी कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन चयन की सुविधा प्राप्त है।

वर्ष 2021–22 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	69.525	5.025	0.00	74.55
सा0प्रा0नि0	4.16	0.29	0.00	4.45

वर्ष 2022–23 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	74.55	5.31	0.00	79.86
सा0प्रा0नि0	4.45	0.32	0.00	4.77

वर्ष 2023–24 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	79.86	0.003	0.00	79.86
सा0प्रा0नि0	4.77	0.00	0.00	4.77

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	79.86	0.00	0.00	79.86
सा0प्रा0नि0	4.77	0.00	0.00	4.77

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना

यह योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधायी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते हैं। योजना में अंशदाताओं की न्यूनतम कटौती कुल परिलब्धियों की 6 प्रतिशत की दर से की जाती है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती है। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदोन्नति पर आने वाले अधिकारियों को भी योजना में अनिवार्य रूप से अंशदान करना होता है तथा राजस्थान सेवा का उनके प्रावधायी निधि खाते में जमा राशि इस निधि के अन्तर्गत संधारित खाते में स्थानान्तरित की

जाती है। अखिल भारतीय सेवा प्रावधायी निधि में रखे गये खाते का निर्धारित सीमा तक अवशेष रहने पर लिंक बीमा पालिसी देय है, फलस्वरूप अंशदाता की सेवा में रहते हुए मृत्यु के समय उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, इसके अन्तर्गत अंशदाता के असामयिक निधन के समय उनके खाते में तीन वर्ष की औसत जमा के बराबर अथवा 30,000/– की राशि जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। इस राशि का व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में उक्त प्रा0नि. योजना के अन्तर्गत 280 अंशदाता है।

अंशदाता की प्रथम नियुक्ति से एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ लेजर ऑनलाईन पूर्ण कर प्रत्येक खातेदार को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किये जा चुके हैं जिससे खातेदार अपने बैलेंस को ऑनलाईन देख सकता है। योजना से सम्बंधित क्रेडिट, डेबिट, आहरण, खाता स्थानांतरण व अंतिम भुगतान का कार्य ऑनलाईन सम्पादित किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	**मामलों की प्रकृति**	**उत्पन्न मामले**	**निस्तारित मामले**	**निस्तारण का प्रतिशत**
2021–22	प्रावधायी निधि स्वत्व	19	18	94.73%
	स्थायी प्रत्याहरण	19	19	100 %
	अस्थायी प्रत्याहरण	03	03	100 %
2022–23	प्रावधायी निधि स्वत्व	29	22	75.86%
	स्थायी प्रत्याहरण	10	10	100%
	अस्थायी प्रत्याहरण	–	–	–
2023–24	प्रावधायी निधि स्वत्व	34	34	100%
	स्थायी प्रत्याहरण	28	28	100%
	अस्थायी प्रत्याहरण	–	–	–
2024–25 माह दिसम्बर तक	प्रावधायी निधि स्वत्व	28	28	100%
	स्थायी प्रत्याहरण	22	22	100%
	अस्थायी प्रत्याहरण	–	–	–

4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना

यह योजना राजस्थान केडर के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर दिनांक 1.1.1982 से अनिवार्य रूप से लागू है। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदोन्नत अधिकारी ग्रुप बीमा योजना के सदस्य बनने का विकल्प ले सकते हैं। इस

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी द्वारा 120/– रूपये मासिक अंशदान किया जाता है। इस अंशदान की राशि दो भागों में विभक्त होती है। 1/3 अंशदान बीमा निधि एवं 2/3 अंशदान बचत निधि में जमा होती है। अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके मनोनीत को 1,20,000 रूपये एवं बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के प्रदान की जाती है। सेवानिवृति पर बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के देय होती है।

योजना में देय लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा सभी अधिकारियों की राशि प्रति माह एक साथ अग्रिम रूप में भारत सरकार को भिजवायी जाती है। योजना में अंशदाताओं की संख्या **407** है।

5. जीपीएफ–2004 एवं जीपीएफ–सैब

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम,1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायतशासी संस्थाएं, बोर्डस, एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से नवीन योजनाएँ क्रमशः सामान्य प्रावधायी निधि–2004 (जीपीएफ–2004), सामान्य प्रावधायी निधि सैब (जीपीएफ–सैब) लागू की गई है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिक स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकते थे तथा जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अनुसार ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किये जाने पर जीपीएफ–2004 में मासिक कटौतियों को राज्य सरकार की अधिसूचना प.2(2)वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.05.2022 द्वारा अप्रेल 2022 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। उक्त योजना में वर्तमान में 5.77 लाख अंशदाता है।

6. कार्मिक कल्याण कोष –

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों के कल्याणार्थ 3 हजार करोड़ रूपये से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक 4(09)एफडी/बीमा/2021 जयपुर दिनांक 26.07.2021 से कोष के संचालन हेतु नवीन पीडी खाता संख्या 18699 खोला गया है।

कार्मिक कल्याण कोष से वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 776.75 करोड, वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 2145 करोड (संशोधित) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 1224.7613 करोड़ आरजीएचएस को स्थानातरित की जा चुकी है।

4. साधारण बीमा निधि योजना

साधारण बीमा निधि योजना

समस्त सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारण्टर के रूप में वित्तीय हित निहित है, के बीमाकर्ता के रूप में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अन्तर्गत साधारण बीमा निधि की वर्ष 1991 में स्थापना की गई। भारत सरकार के तत्कालीन कन्ट्रोलर ऑफ इन्श्योरेंस द्वारा साधारण बीमा निधि को लाईसेंस संख्या 572/1992 जारी किया हुआ है जिसे वर्तमान में बीमा नियामक व विकास प्राधिकारण (IRDA) द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। साधारण बीमा निधि को फायर, मेरिन एवं विविध बीमा का कार्य करने हेतु लाईसेंस प्राप्त है। साधारण बीमा निधि द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित फीस का भुगतान कर आई.आर.डी.ए. से लाईसेंस का नवीनीकरण करवाया जाता है।

साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार का बीमा जोखिम वहन किया जा रहा हैः–

1. मैरीन बीमा
2. विविध बीमा
   - (i) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
   - (ii) मनी इन ट्रांजिट मनी इन कैश पॉलिसी
   - (iii) फिडिलिटी गारन्टी बॉन्ड
   - (iv) मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलिसी
   - (v) बैंकर्स इण्डेमिनिटी पॉलिसी
   - (vi) वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी
   - (vii) बर्गलरी एण्ड थैफ्ट पॉलिसी
   - (viii) इलेक्ट्रोनिक इक्यूपमेंट पॉलिसी
   - (ix) सी.पी.एम. लोको पॉलिसी

साधारण बीमा योजना द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

जीपीए(ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विद्युत कम्पनियों में नियुक्त कर्मियों, होम गार्ड विभाग में नियुक्त कार्मिको तथा अन्य निगमों/मण्डलों/समितियों के कार्मिकों के लिये अलग–अलग पॉलिसियां जारी की जाती है। योजना के

अन्तर्गत दुर्घटना में निधन पर शोक संतप्त परिवार एवं दुर्घटना में हुई क्षति पर स्वयं बीमित को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

विभिन्न समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर		बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
		कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती	राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि			
1	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मी)	700–/ 1400–/ 2100–/	–– –– ––	1000000 2000000 3000000	1 मई से 30 अप्रेल प्रति वर्ष	राज्य कर्मचारी के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
पुलिस कार्मिकों हेतु समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का विवरण						
2	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पुलिसकर्मी	**कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती** 1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 1350/ 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/ 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/	**राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि** 1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 1350/ 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/ 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर4050/	1000000 2000000 3000000	1 अप्रेल से 31 मार्च	• पुलिस कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है। • पुलिस विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (एएससी–बीडीएस–श्वान दल/ ईआरटी /एटीएस/एसओजी)	10000/–		2500000	1 अप्रेल से 31 मार्च	पुलिस विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।

2. विविध बीमा पॉलिसी:–

साधारण बीमा निधि द्वारा मेरिन एवं विविध बीमा यथा बर्गलरी, मनी, बैंकर्स इन्डेमिनिटी, फिडिलिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, वर्कमैन कम्पनसेशन इत्यादि पॉलिसियाँ भी जारी की जाती है। उक्त पॉलिसियों के विरूद्ध इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन किया जाता है।

3. जीपीए राज्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी योजनाओं का केन्द्रीकरण:–

दिनांक 01.05.2023 से जीपीए राज्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी बीमा योजनाओं में दावा निस्तारण का कार्य राजस्थान सरकार, वित्त(बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.5(14)वित्त/बीमा/2022 जयपुर, दिनांक

16.06.2023 की पालना में वर्ष 2023–24 से जारी की जा रही समस्त जी.पी.ए. पॉलिसियों के विरूद्ध प्राप्त दावों का निस्तारण, ऑनलाईन केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना'' पोर्टल के माध्यम् से कार्यालय साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

4. राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.5(6)वित्त/बीमा/2020 जयपुर दिनांक 04.11.2024 के द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (बोर्ड/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशासी संस्थाओं) को केन्द्रीयकृत किया गया है।

5. **नवीन योजनाएॅः–**

(i) प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों को बीमित अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्षति/मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना बीमा एवं प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाने हेतु **मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना** लागू की गई है। इस योजना का नोडल विभाग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद है। योजनान्तर्गत साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा बीमाकर्ता के रूप में ट्रस्ट मोड पर कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 12.12.2024 को किया गया है।

(ii) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.12(1) वित्त/बीमा/2024, जयपुर दिनांक 26. 11.2024 के अनुसार **मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना** का क्रियान्वयन साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत राजस्थान के 18 वर्ष से 40 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए योजना का संचालन भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ सम्मिलित करते हुए किया जायेगा। 41 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए इस योजना का संचालन राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जायेगा। उक्त योजना में पात्र अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रूपये मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा तथा उसकी मृत्यु पश्चात् 1500/– अभिदाता के पति/पत्नि को पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी। उक्त योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2024 को किया गया है।

(iii) उक्त योजना में पात्र अभिदाता को राजस्थान के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5–5 लाख गाय, भैंस, भेड तथा बकरिया तथा 1 लाख ऊट कुल 21 लाख पशुओ का बीमा किये जाने हेतु प्रदेश में **मुख्यमंत्री मंगला पशुबीमा योजना** लागु की गई है। इस योजना का नोडल विभाग पशुपालन विभाग है। साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को किया गया है।

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत प्रमुख योजनाओ में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(राज्यकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2021–22	34	263	297	252	45
2022–23	45	281	336	262	64
2023–24	64	220	284	221	63
2024–25 (30.12.2024)	63	188	251	173	78*

नोट– *बकाया 78 प्रकरणों में 69 दावें दावेदारो के स्तर पर लम्बित है।

(ब) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(पुलिसकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2021–22	15	102	117	91	26
2022–23	26	86	112	91	21
2023–24	21	78	99	73	26
2024–25 (31.12.2024)	26	42	68	42	26*

नोट– *बकाया 26 प्रकरणों में 20 दावें दावेदारो के स्तर पर लम्बित है।

(स) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(विद्युतकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2021–22	16	79	95	84	11
2022–23	11	43	54	43	11
2023–24	11	04	15	14	01
2024–25 (31.12.2024)	01	03	04	04	00

(द) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(अन्य बोर्ड/निगमकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2021–22	01	03	04	04	00
2022–23	00	04	04	04	00
2023–24	00	01	01	01	00
2024–25 (31.12.2024)	00	00	00	00	00

(य) <u>विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना</u>

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावें	योग	निस्तारित दावे	शेष
2021—22	19	461	480	441	39
2022—23	39	398	437	422	15
2023—24	15	16	31	31	00
2024—25 (31.12.2024)	00	07	07	07	00

(र) <u>अन्य विविध बीमा</u>

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
2021—22	03	03	06	01	05
2022—23	05	01	06	03	03
2023—24	03	00	03	00	03
2024—25 (31.12.2024)	03	00	03	02	01

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण (महालेखाकार कार्यालय /आईएफएमएस में बुक राशि के आधार पर)

बजट मद 8011—105—02—01

वर्ष	प्राप्त कुल प्रीमियम (रू. करोड़ो में)	कुल भुगतान (रू. करोड़ो में)
2021—22	103.13	351.48 (राशि रू. 300 करोड राज्य सरकार के राजस्व मद में हस्तानांतरित की गई)
2022—23	548.28 (उक्त राशि में 480 करोड मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से प्राप्त हुए है।)	379.46 (उक्त राशि में 330.99 करोड मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत खर्च हुए है।)
2023—24	403.55 (उक्त राशि में 50 करोड मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से एवं 291.91 करोड मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से प्राप्त है।)	596.03 (उक्त राशि में 532.78 करोड मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत खर्च एवं 50 करोड मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के पी.डी. खाते में हस्तांतरित किये गये।)
2024—25 (31.12.2024)	84.07 (65.70 करोड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से प्राप्त है।)	9.18 (4.70 करोड अप्रेल 2024 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत खर्च किये।)

❖ वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह अगस्त, 2022 से **मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना** के अन्तर्गत प्राप्त सभी दावों की राशि का भुगतान साधारण बीमा निधि कार्यालय के बजट मद संख्या 8011—00—105—02—01 से किया जा रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022—2023 में इस योजनान्तर्गत कुल 480 करोड राशि रू. प्राप्त हुए हैं एवं 330.99 करोड रूपये का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में इस योजनान्तर्गत कुल 291.91 करोड राशि रू. प्राप्त हुए हैं

तथा 532.78 करोड रूपये का भुगतान किया गया है। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त सभी दावों का भुगतान इस कार्यालय (साबीनि) के बजट मद संख्या 8011—00—105—02—01 से ही किया जा रहा है।

बजट मद 8011—107—01

वर्ष	**कुल प्राप्तियां (रू. करोड़ों में)**	**कुल भुगतान (रू. करोड़ों में)**
2021—22	44.00	209.96 (राशि रू. 200 करोड राज्य सरकार के राजस्व मद में हस्तानांतरित की गई)
2022—23	28.43	19.35
2023—24	91.06	20.66
2024—25(31.12.2024)	78.92	13.32

साधारण बीमा निधि की स्थापना वर्ष 1991 में 50,000/— रू. के फण्ड से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिनांक 13.10.2021 तक यह फण्ड बढ़कर लगभग 813 करोड़ रू. हो गया है, जिसमें से राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी (स्वीकृति संख्या 25/2021—22) दिनांक 14.10.2021 के अनुसरण में बजट मद 8011—00—105—02—01 में से राजस्व मद संख्या 0075—00—800—(01) में राशि रू. 166.59 करोड हस्तांतरित की गई। राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी (संशोधित स्वीकृति संख्या 28/2021—22) दिनांक 26.10.2021 के अनुसरण में बजट मद 8011—00—105—02—01 में से 133.41 करोड एवं बजट मद 8011—00—107—01 में से राशि रू. 200 करोड (कुल राशि रू. 333.41 करोड) राजस्व मद संख्या 0075—00—800—(01) में हस्तानांतरित की गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021—2022 में इस कार्यालय के उक्त बजट मदों से राजस्व मद संख्या 0075—00—800—(01) में (166.59+133.41+200 = 500 करोड) हस्तानान्तरित किये गये है। दिनांक 01.04.2024 को साधारण बीमा निधि का फण्ड लगभग **576.67 करोड** रू. है। साधारण बीमा निधि के बजट मदों की राशि राज्य सरकार के पास जमा है जिस पर वर्तमान में निधि को 7.5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जन — कल्याणकारी कार्यों में उपयोग में ली जा रही है।

5. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

''राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना'' (आरजीएचएस) के क्रम में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार आरजीएचएस का क्रियान्वयन दिनांक 30.11.2023 से राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी (RSHHA) के द्वारा किया जा रहा है, किन्तु आरजीएचएस का बजट कन्ट्रोलिंग ऑफिस (BCO) निदेशक बीमा को ही रखा गया है। उक्त योजना में उत्पन्न कोर्ट कैसेज में राज्य बीमा के विभागीय अधिकारी आरजीएचएस में उत्पन्न कैसेज में प्रभारी अधिकारी (OIC) का कार्य सम्पादित कर रहे है साथ ही अब आरजीएचएस के संबंध में राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण (RSPAA) के अधीन आरजीएचएस के संबंध में Quality Control and Performance Audit Cell (QC&PA Cell) का गठन किया गया है। जिसमें इस विभाग के जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

6. मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

1. प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित / पंजीकृत एवं पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों, जो उक्त दोनो योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवारो हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना** प्रारंभ की गयी है। उक्त योजना का संचालन **कार्यालय परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा एवं प्रावाधयी निधि विभाग** द्वारा किया जा रहा है।

2. योजनान्तर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में दुर्घटना कवर प्रदान किया जा रहा है :–

   I. सड़क/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।

   II. बीमित के ऊँचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।

   III. मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति।

   IV. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।

   V. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण मृत्यु या क्षति।

   VI. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।

   VII. जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति ।

   VIII. मशीन (थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि) पर/से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु/क्षति।

3. उक्त दुर्घटनाओं में क्षति होने पर 1.5–3 लाख रूपये की सहायता तथा परिवार में एक सदस्य की मत्यु पर 5 लाख एवं एक से अधिक सदस्यो की मृत्यु पर 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना पूर्णतः पेपरलैस, कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित है।

4. योजना के बिन्दु संख्या 12 (IX) के अन्तर्गत मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें

मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति/पत्नी (Spouse) को आधा–आधा देय होगा।

5. दिनांक 01.05.2022 से **31.12.2024** तक प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	कुल दावो की संख्या	कुल अप्रुव्ड दावो की संख्या	कुल रिवर्ट दावो की संख्या	कुल रिजेक्ट दावो की संख्या	प्रक्रियाधीन
2022-23	11630	8409	12	3204	5
2023-24	19286	11521	196	7551	18
2024-25 Till 31.12.2024	12735	6503	2880	2029	1323
Total	**43651**	**26433**	**3088**	**12784**	**1346**

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 (31.12.2024 तक) में दावों एवं अन्य खर्चो के पेटे कुल राशि रू. 1142 करोड़ का भुगतान किया जा चुका हैं।

7. सिस्टम

➢ वेब–बेस्ड एप्लीकेशन

इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के लेखों एवं कार्य–प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु एसआईपीएफ पोर्टल (कस्टमाईज्ड वेब–बेस्ड एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। वर्तमान मे पोर्टल का विकास, परिष्करण, नवीनीकरण, रख–रखाव तथा आईएफएमएस से इन्टीग्रेशन का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा किया जा रहा है।

➢ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन कार्य प्रगति

एसआईपीएफ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया से राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को निम्न लाभ प्राप्त हो रहे हैं:–

1. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के खाते दिनांक 01.04.2012 से ऑनलाईन किये जाकर पोर्टल पर खातों के अवलोकन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी गई है।
2. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के ऋण, आहरण एवं अन्तिम भुगतान के प्रार्थना पत्रों का ऑनलाईन सबमिशन एवं डिस्पोजल किया जा रहा है।
3. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा के भुगतान सीधे ही संबंधित राज्य कर्मचारियों/दावेदारों के बैंक खातों में ऑनलाईन जमा कराया जा रहा है।

एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से सम्पादित कार्य की विस्तृत प्रगति निम्नानुसार है :–

(1) एम्प्लॉई डाटाबेस–शासन सचिव, वित्त (बजट), कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024 की अनुपालना में दिनांक 01.02.2024 के पश्चात राज्य कर्मचारियों के सेवा में प्रवेश करने पर राजकीय सेवा संबंधी विस्तृत विवरण सम्बन्धित आरहण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर सबमिट कराया जाता है जिसके आधार एम्प्लॉई मास्टर डाटा तैयार किया जाकर 16 डिजिट की यूनिक एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्मिकों की एम्प्लॉई आईडी पूर्ववत एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से जारी की जा रही है।

(2) ऑनलाईन रिकार्ड कीपिंग

राज्य बीमा योजना

❖ राज्य बीमा योजना में बीमेदार की प्रथम कटौती से मार्च, 2014 तक जारी बीमानुबन्धों को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया था तथा दिनांक 01.04.2015 से बीमानुबंध (कॉन्ट्रेक्ट)ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं जिनके आधार पर राज्य कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर SI Contract List में प्रथम कटौती से अब तक जारी बीमानुबंध (कॉन्ट्रेक्ट), प्रीमियम, बीमा धन, बोनस आदि को व्यू किये जाने की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की गई है।

- **बीमा पॉलिसी/बीमानुबन्ध जारी करना** दिनांक 01.04.2015 से उक्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से प्रथम/अधिक समाश्वासन "आधार बेस्ड ओटीपी" के माध्यम से सबमिट करवाये जाकर बीमा पॉलिसियां स्वचालित प्रक्रिया के तहत जारी करायी जा रही है।
- **अप्रेल, 2012 से दिसम्बर 2024 तक डेबिट एवं क्रेडिट** पे–मैनेजर के माध्यम से पारित वेतन बिलों की बीमा कटौतियों का डाटा पे–मैनेजर/आईएफएमएस 3.0 से एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया जाकर राज्य बीमा कटौतियों के लेजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रावधायी निधि योजना

- प्रावधायी निधि योजना में अंशदाताओं की प्रथम कटौती से दिनांक 31.03.2012 तक की कटौतियों का रिकार्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर फीड किया जाकर ऑल्ड लेजर के रूप में तैयार कराया गया था जिसे निरन्तर परिष्कृत/पूर्ण कराया जा रहा है।
- अप्रेल 2012 से दिसम्बर 2024 तक का क्रेडिट एवं डेबिट का डाटा पे–मैनेजर/आईएफएमएस 3.0 से इम्पोर्ट कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया तथा ऑफलाईन जमा एवं माह सितम्बर 2016 तक केश चालानों के माध्यम से जमा शिड्यूल्स/कटौतियों का डाटा विभागीय कर्मचारियों द्वारा फीड किया गया जो संबंधित अंशदाताओं को जीपीएफ कटौतियों के लेजर के रूप में पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

(3) <u>एसआईपीएफ एवं आईएफएमएस (पे–मैनेजर) पोर्टल का इन्टीग्रेशन</u>

- एसआईपीएफ पोर्टल का पे–मैनेजर/आईएफएमएस 3.0 एप्लीकेशन एवं ई–ग्रास एप्लीकेशन का इन्टीग्रेशन किया जाकर प्रावधायी निधि एवं राज्य बीमा योजना में अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2024 तक का डाटा एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया गया है तथा वर्तमान में विभाग द्वारा अंतिम भुगतान/आहरण एवं ऋणों का भुगतान, ईसीएस के माध्यम से ऑटो प्रोसेज से सीधे कार्मिक/दावेदारों के बैंक खातों में हो रहे हैं।
- एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई–ग्रास पोर्टल के इंटीग्रेशन पश्चात कैश–चालान जमाकर्ता विभागों तथा कर्मचारियों द्वारा ई–चालान/शिडयूल्स एसआईपीएफ पोर्टल पर जनरेट कर कटौती राशि जमा करायी जा रही है।

(4) एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 द्वारा एप्लीकेशन निष्पादन

- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 एंग्यूलर तकनीक पर आधारित है, जिसमें विभागीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से समस्त आवेदनों का निस्तारण पूर्णतः पेपरलेस किया जा रहा है, जिसमें आहरण एवं वितरण अधिकारियों की भूमिका न्यूनतम है।
- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में फेमिली डिटेल को अपडेट करने, जीआरएन नम्बर अपडेट व व्यू करने, राज्य बीमा/जीपीएफ के दस्तावेज ई–बेग में अपलोड करने के एक्सेस राज्य कार्मिकों को दिये गये है।

- **मोबाईल मैसेज**—एसआईपीएफ पोर्टल पर सम्पादित कतिपय कार्यो यथा एप्लीकेशन सबमिशन, फॉरवर्डिंग/अप्रूवल, बीमा परिपक्वता दावा आमंत्रित करने, पूर्ण किये गये खातों आदि की जानकारी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने बाबत ई—संचार के माध्यम से मोबाईल मैसेज भिजवाये जा रहे है।

- <u>**विभागीय वैब—साईट**</u> www.sipf.rajasthan.gov.in पर निम्न सूचनाएं प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जा रही है :—

    - **विभागीय योजनायें** राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, साधारण बीमा, आरजीएचएस एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (एमएडीबीवाय) आदि योजनाओं की जानकारी राज्य कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है।
    - **विभागीय योजनाओं की नियमावली**—राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, जीआईएस, एवं मेडिक्लेम आदि से संबंधित नियम/उपनियम/अध्यादेश/संशोधन आदि उपलब्ध हैं।
    - **विभागीय योजनाओ से संबंधित प्रपत्र**—राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, जीआईएस मेडिक्लेम, आरजीएचएस एवं एमसीडीबीवाय आदि योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं।
    - **डीडीओ एवं एम्प्लॉई कॉर्नर** डीडीओ एवं राज्य कर्मचारियों के लॉगिन हेतु यह सुविधा तथा सामान्य जानकारियॉ उपलब्ध करवायी गयी है।
    - **एसआईपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक** राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये पोर्टल एवं अन्य महत्वपूर्ण वेबसाईट्स के लिंक उपलब्ध करवाये गये है।

- <u>**हेल्प डेस्क एवं टोल—फ्री हेल्प लाईन**</u> राज्य के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय यूजर्स द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान/मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर टोल—फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800—180—6268 एवं हेल्प डेस्क helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in सेवा उपलब्ध है। कार्यालय समय में टोल—फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष उपलब्धियां

- राज्य बीमा/प्रावधायी निधि योजना के ऋण, आहरण एवं अंतिम भुगतान प्रार्थना—पत्रों का पेपरलेस पैटर्न से निस्तारण प्रारंभ।
- राज्य कर्मचारियों की जमा राशि, राज्य बीमा पॉलिसियों के परिपक्व होने तथा प्रार्थना—पत्रों के सबमिशन से लेकर डिस्पोजल तक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देना प्रारंभ।
- राज्य कर्मचारियों को देय भुगतान ऑटो प्रोसेस एवं ईसीएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराना प्रारंभ।
- राज्य बीमा पॉलिसियों के लिये ऑनलाईन घोषणा—पत्र सबमिट करवाकर ऑटो प्रोसेस से पॉलिसी जारी करना प्रारंभ।

- राजस्थान विधान सभा के समक्ष वर्ष 2024–25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु संख्या 47 (1) में उल्लेखित 'कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाएं, विवरण Mobile App के माध्यम से Online उपलब्ध करवायी जायेगी।' जिसके क्रम में विभागीय एसआईपीएफ मोबाईल एप विकसित कर गुगल प्लेस्टोर एवं आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया गया है। राज्य सरकार के लभगभ 8.00 लाख कार्मिक इस मोबाईल एप द्वारा अपने राज्य बीमा, जीपीएफ से संबंधित लेजर, बीमा अनुबंध, ऋण/आहरण की स्थिति को व्यू कर सकते है। कार्मिक अपने मोबाईल पर उक्त एप पर आवश्यकतानुसार आसानी से विभागीय प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते है।

8. लेखा (बजट)

विभाग के मुख्य शीर्ष 2235–4235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (राज्य निधि) के निम्नांकित लघु शीर्षो के वर्ष 2024–25 के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

लघु शीर्ष	आय–व्य. /संशो. अनु. 2022–23	वास्तविक व्यय 2022–23	आय–व्य. /संशो. अनु. 2023–24	वास्तविक व्यय 2023–24	परिवर्तित आय–व्य. अनु. 2024–25	वास्तविक व्यय 12/2024 तक
2235–60–104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि (01)–जमा से प्रतिबद्ध बीमा राज प्रा0 निधि	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**
2235–60–104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (02)–प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण						
दत्तमत	**4139.44**	**3987.69**	**4469.24**	**3747.71**	**4403.23**	**3086.71**
प्रभृत	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.20**
2235–60–105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना (01)–राज्य बीमा विभाग						
दत्तमत	**6889.76**	**6774.25**	**7174.23**	**6276.97**	**7822.00**	**5305.57**
प्रभृत	**0.01**	**0.00**	**1.27**	**1.27**	**0.01**	**0.03**
2235–60–110–अन्य बीमा योजनायें (01)–साधारण बीमा योजना	**395.12**	**314.47**	**378.82**	**314.21**	**400.38**	**251.38**
2235–60–800–अन्य व्यय (02)– निदे. रा बी एवं प्रा0नि0 के माध्यम से [01]–(मेडिक्लेम)	**2400.07**	**2400.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**
2235–60–800–अन्य व्यय (02)–निदे. रा बी एवं प्रा0नि0 के माध्यम से [02]–नवीन अंशदायी पेंशन योजना	**2167.23**	**1328.16**	**1537.23**	**1002.96**	**1629.74**	**1208.38**
2235–60–200–अन्य कार्यक्रम, 23– आरजीएचएस 2021	**772.12**	**650.39**	**978.84**	**567.57**	**0.00**	**0.00**
2235–60–200–24, 789–07, 796–07 कार्मिक कल्याण योजनाएं 01–रा.बी.एवं प्रा.नि. विभाग के माध्यम से	**214500.00**	**214500.00**	**122476.13**	**122476.13**	**0.03**	**0.00**

2235–60–105–03–01, 789–06, 796–06 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना	48705.84	48471.81	60553.27	45710.14	15163.56	15139.63
2235–60–200–27–01, 789–08, 796–08 मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	45329.77	30222.76
2210–06–800–09, 789–13, 796–18 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना–2021	0.00	0.00	140890.65	140212.71	260924.52	260781.04
4235–800–अन्य व्यय(04) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण [90]–निमार्ण कार्य	83.54	83.52	12838.63	5052.77	12800.00	3012.36
4235–60–800–(06) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का कम्प्यूटराईजेशन	140.79	119.61	140.00	122.60	0.01	0.00
दत्तमत **प्रभृत**	**280193.92** **0.02**	**278629.90** **0.00**	**351437.06** **1.28**	**325483.77** **1.27**	**348473.26** **0.02**	**319007.83** **0.23**

9. उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों के संबंध में सीधे राज्य कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, विभिन्न विभागो/कार्यालयों व अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक एवं त्वरित निराकरण हेतु “उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता अनुभाग” की स्थापना की गयी है। अनुभाग के कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण) का पदस्थापन किया गया है।

अनुभाग में वर्तमान में निम्न से संबंधित कार्यो का संचालन किया जाता है–

1. लोकायुक्त/वित्त विभाग/जन अभाव अभियोग प्रकरण
2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल शिकायतें
3. लोक सेवा गांरटी अधिनियम –2011
4. मासिक कार्य प्रगति विवरण तैयार करना एवं समीक्षा बैठक आयोजन
5. सूचना का अधिकार अधिनियम –2005
6. विधानसभा से संबंधित कार्य
7. अन्य कार्य–प्राप्त शिकायतों की जॉच आदि

1. लोकायुक्त/वित्त विभाग/जन अभाव अभियोग/सामान्य शिकायत/अन्य

उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस) में वर्ष 2021–22 से 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) में लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें
2021–22	527	527
2022–23	799	799
2023–24	258	257
2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	306	274*

* लम्बित शिकायतो के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल

अनुभाग में वर्ष 2021–22 से 2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक) राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले
वर्ष 2021–22	12390	12390
वर्ष 2022–23	17764	17764
वर्ष 2023–24	19739	19739
वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	9828	9567*

*लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की अधिसूचना दिनांक 10.10.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों हेतु निम्नलिखित 13 विभागीय सेवाओं को निर्धारित अवधि में प्रदान करने बाबत प्रावधान किया गया हैः–

क.स.	सेवा का नाम	निर्धारित अवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
2	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
3	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के दो माह	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
4	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रिकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
5	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
6	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

7 *	बीमा / जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लीयरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।)	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा / जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
8	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
9	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
10	विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
11	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
12	मेडिक्लेम	30 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
13 **	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

* दिनांक 01.04.2021 से बीमा एवं जीपीएफ के बैग एवं लेजर ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जा रहे है।

** दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू किया गया है जिससे राज्य कर्मचारियों के लिये उक्त कार्य संपादित नहीं हो रहा है।

इस हेतु कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालयाध्यक्ष पदाभिहित अधिकारी है एवं उनकी सहायता के लिये संबंधित योजना के पर्यवेक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी है। प्रथम अपील अधिकारी संबंधित संभाग के अतिरिक्त निदेशक है। पदाभिहित अधिकारी कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करता है। प्राप्त आवेदनों को अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के आगे दी हुई समय सीमा में निस्तारित किया जाता है। नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिनों की गणना नहीं की जाती है।

अधिसूचना की धारा – 7 (1)(क) के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो एक मुश्त शास्ति, जो पांच सौ रूपये से कम और पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी तथा अधिसूचना की धारा– 7(1)(ख) के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलम्ब किया है तो ऐसे विलम्ब के लिये पदाभिहित अधिकारी पर अतिरिक्त प्रतिदिन 250/– रूपये की दर से अधिकतम 5,000/– रूपये तक अधिरोपित करने हेतु द्वितीय अपील प्राधिकारी (निदेशक) को अधिकृत किया गया है।

4. मासिक कार्य प्रगति विवरण करना एवं मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन

अनुभाग द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन कर सभी संभाग/जिला कार्यालयों एवम् मुख्यालय के समस्त अधिकारियों के साथ विभाग की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा की जाती है। समीक्षा बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार कर योजना प्रभारी अधिकारियों एवं समस्त जिला/संभागीय अधिकारियों को निर्देशो की अनुपालना हेतु भिजवाया जाकर निर्देशित किया जाता है। सभी योजना प्रभारियों से मासिक कार्य प्रगति विवरण प्राप्त एवं संकलित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाता है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्राप्त प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	प्रकरण (कार्यवाही में)
2021–22	6163	6163	शून्य
2022–23	6738	6738	शून्य
2023–24	5798	5798	शून्य
2024–25 (12/2024) तक	5400	5131	269*

* लम्बित शिकायतो के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रथम अपील

वर्ष	प्राप्त	निस्तारित	बकाया
2021–22	707	707	शून्य
2022–23	1120	1120	शून्य
2023–24	1286	1286	शून्य
2024–25 (12/2024) तक	986	864	122*

* लम्बित शिकायतो के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. विधानसभा से संबंधित कार्य

राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा समय–समय पर पूछे गये प्रश्नों, आश्वासनों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि के संबंध में विभाग के विभिन्न अनुभागों, जिला/संभागीय कार्यालयों/अन्य विभागों आदि से सूचनाऐं संग्रहित कर, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकार एवम् विभिन्न विभागों को त्वरित सूचनाऐं/प्रत्युत्तर भिजवाया जाता है।

7. अन्य

विभाग के विभिन्न जिला/संभाग कार्यालयों/कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच से संबंधित कार्यों का सम्पादन भी निदेशक के निर्देशानुसार इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

10. कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण

दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	निदेशक	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1
3.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक	6(4+2*)	5(4+1*)	1
4.	अतिरिक्त निदेशक	21	21	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	संयुक्त निदेशक	25	21	4
7.	सिस्टम एनालिस्ट	1	1	0
8.	उपनिदेशक	30	07	23
9.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	2	1	1
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
11.	सहायक विधि परामर्शी	1	0	1
12.	वरि. निजी सचिव	1	1	0
13.	निजी सचिव	3	1	2
14.	सहायक निदेशक	62	43	19
15.	लेखाधिकारी	4	2	2
16.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	19	17	2
17.	संस्थापन अधिकारी	9	5	4
18.	प्रशासनिक अधिकारी	24	17	7
19.	प्रोग्रामर	12	10	2
20.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3	2	1
21.	अतिरिक्त निजी सचिव	5	3	2
22.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	65	55	10
23.	पर्यवेक्षक	84	81	3

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
24.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	47	24	23
25.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	262	235	27
26.	कनिष्ठ लेखाकार	21	16	5
27.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4	3	1
28.	सहायक प्रोग्रामर	51	44	7
29.	निजी सहायक ग्रेड प्रथम	7	3	4
30.	निजी सहायक ग्रेड द्वितीय	12	6	6
31.	वरिष्ठ सहायक	372	347	25
32.	सूचना सहायक	147	88	59
33.	कनिष्ठ सहायक	723	198	525
34.	वाहनचालक	2	0	2
35.	बाइण्डर	3	3	0
36.	मशीनमैन	1	0	1
37.	रेकार्ड लिफ्ट्र	9	5	4
38.	जमादार	10	7	3
39.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	213	68	145
	योग	**2265**	**1342**	**923**

*1. अति. निदेशक, एनपीएस–सैब, मुख्यालय के पद को वरि. अतिरिक्त निदेशक के पद में क्रमोन्नत/स्थानान्तरित करते हुए साधारण बीमा निधि, वित्त भवन में विशेषाधिकारी के पदनाम से स्वीकृत किया गया है।

*2. अति. निदेशक, राज्य बीमा योजना के पद को वरि.अतिरिक्त निदेशक के पद में 03 वर्ष अथवा श्रीमती अंजली माथुर की प्रतिनियुक्ति अवधि तक, जो भी पहले हो तक के लिए क्रमोन्नत/स्थानांतरित करते हुए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में विशेषाधिकारी के पदनाम से स्वीकृत किया गया है।

11. संगठनात्मक ढ़ॉचा

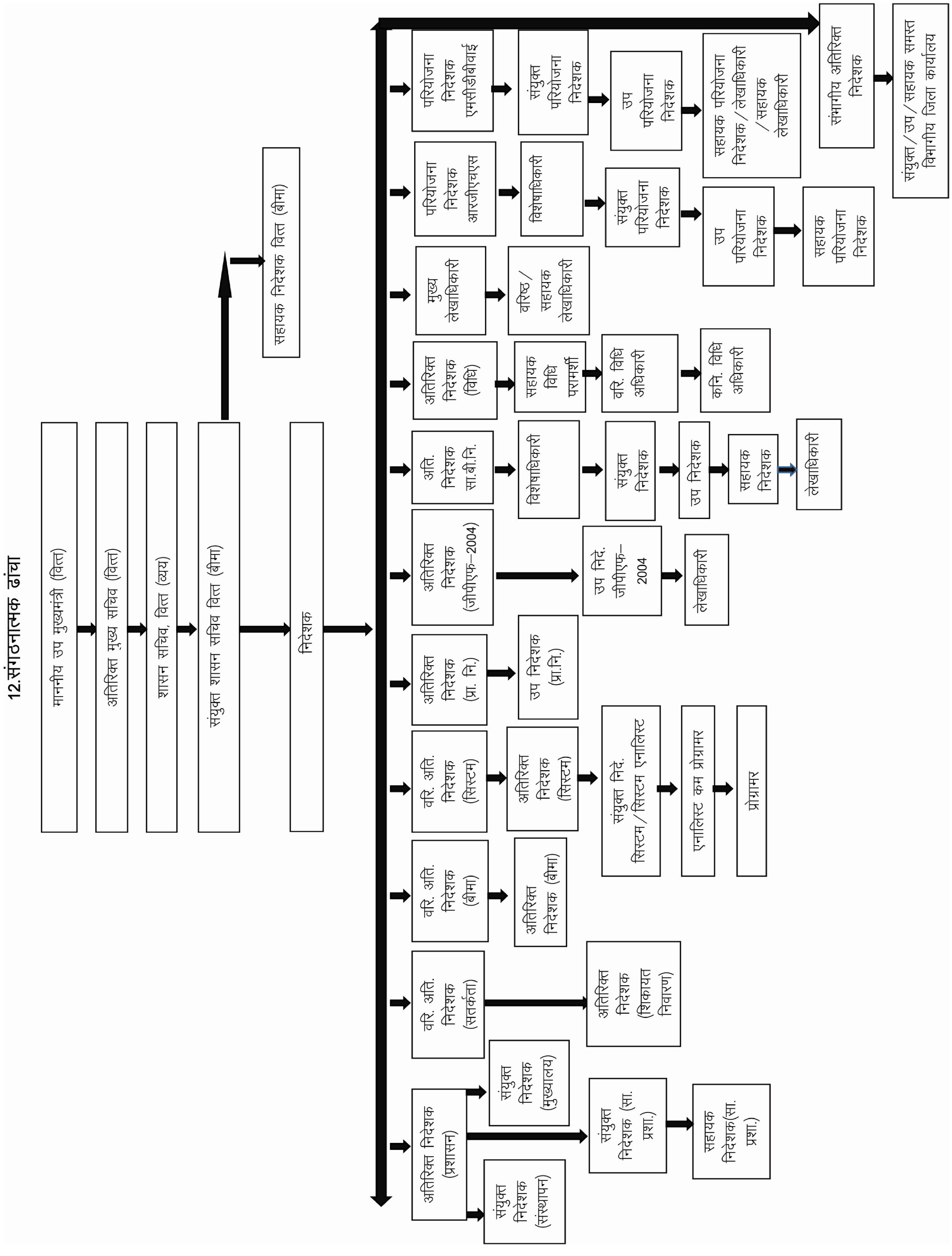

12. विशेष उपलब्धियां

नवीन योजनाएं/नीतियां/नवाचारों का विवरण–

- राज्य बीमा/प्रावधायी निधि योजना के ऋण, आहरण एवं अंतिम भुगतान प्रार्थना–पत्रों का पेपरलेस पैटर्न से निस्तारण प्रारंभ।
- राज्य कर्मचारियों की जमा राशि, राज्य बीमा पॉलिसियों के परिपक्व होने तथा प्रार्थना–पत्रों के सबमिशन से लेकर डिस्पोजल तक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देना प्रारंभ।
- राज्य कर्मचारियों को देय भुगतान ऑटो प्रोसेस एवं ईसीएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराना प्रारंभ।
- राज्य बीमा पॉलिसियों के लिये ऑनलाईन घोषणा–पत्र सबमिट करवाकर ऑटो प्रोसेस से पॉलिसी जारी करना प्रारंभ।
- राजस्थान विधान सभा के समक्ष वर्ष 2024–25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु संख्या 47 (1) में उल्लेखित 'कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाएं, विवरण Mobile App के माध्यम से Online उपलब्ध करवायी जायेगी।' जिसके क्रम में विभागीय एसआईपीएफ मोबाईल एप विकसित कर गुगल प्लेस्टोर एवं आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया गया है। राज्य सरकार के लभगभ 8.00 लाख कार्मिक इस मोबाईल एप द्वारा अपने राज्य बीमा, जीपीएफ से संबंधित लेजर, बीमा अनुबंध, ऋण/आहरण की स्थिति को व्यू कर सकते है। कार्मिक अपने मोबाईल पर उक्त एप पर आवश्यकतानुसार आसानी से विभागीय प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते है।
- राजस्थान के 18 वर्ष से 40 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए "मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना" का शुभारम्भ दिनांक 15-12-2024 से किया गया है। योजना का संचालन भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ सम्मिलित करते हुए किया जायेगा। 41 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए इस योजना का संचालन राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जायेगा। जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रूपये मासिक पेंशन का भुगतान अभिदाता को किया जायेगा।
- दिनांक 01.04.2022 से राज्य बीमा की पॉलिसियां राज्य कर्मचारियों से प्रथम घोषणा पत्र आधार बेस्ड ओटीपी से एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट करवाकर ऑटो जनरेटेड जारी की गई है।

❖ राज्य कर्मचारियों की एण्डामेन्ट बीमा पॉलिसियों पर वर्ष 2021–22 (31.03.2022) रूपये 85/–प्रति हजार प्रतिवर्ष की दर से बोनस घोषित करवाया गया।

❖ दिनांक 01.04.2024 को परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के प्राप्त दावों का शत प्रतिशत निस्तारण कर कुल राशि रूपये 1967.73 करोड का पेमेन्ट इनिशिएट किया गया है।

❖ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की राज्य बीमा योजना की बैलेन्सशीट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई।

13. सार संक्षेप

समस्त राज्य कर्मचारियों एवं आमजन को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आदि का संचालन विभाग के द्वारा समयबद्धता एवम् पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखते हुये न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर किया जा रहा है। राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना का प्रशासनिक व्यय चार्ज्ड व्यय की श्रेणी में आता है। विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये दिनांक 15.08.2016 से राज्यकर्मियों को ऑन–लाईन सेवाऐं उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण/स्वत्व ऑनलाईन ही प्राप्त/निस्तारित किये जा रहे हैं। दिनांक 15.12.2020 से प्रावधायी निधि से आहरण एवं बीमा निधि से ऋण के प्रकरणों की पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई है।

इस प्रकार सेवारत कार्मिकों के साथ–साथ मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवम् सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग सदैव तत्पर, जागरूक एवम् कृतसंकल्प है।